न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार (**RAS**)

प्रकरण संख्या :– 24/2019

दायर दिनांकः– 07.08.2019
फैसल दिनांकः– 29.01.2020

1. श्री लालशंकर (लाला) पुत्र श्री थावराजी डांगी, जाति पटेल उम्र–41 वर्ष पेशी कृषि निवासी–मोकरवाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षी

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दूरस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1956 एव धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–

श्री रमेशचन्द्र पटेल

–:: निर्णय ::–

एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे कास्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार हल्का सुलई तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर मे स्थित है जिनमें प्रार्थी का नाम लाला उर्फ लालशंकर दर्ज किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1. यह है कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार हल्का सुलई तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या पुरानी 61 नई 63 में स्थित भूमि का विवरण निम्न है :–

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
[illegible]	0.07	आ.चा.कुंआ	–
योग–1	0.07		

2. यह है कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार हल्का सुलई तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या पुरानी [illegible] नई [illegible] में स्थित भूमि का विवरण निम्न है :–

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान

1. श्री लालशंकर (लाला) पुत्र श्री बाबलाजी डामी, जाति पटेल उम्र–41 वर्ष पेशी कृषि निवासी–मोकरवाडा तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षी

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दूरस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1956 एव धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–

श्री रमेशचन्द्र पटेल

–:: निर्णय ::–

एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार हल्का सुलई तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर मे स्थित है जिनमें प्रार्थी का नाम लाला उर्फ लालशंकर दर्ज किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1. यह है कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार हल्का सुलई तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या पुरानी 61 नई 63 में स्थित भूमि का विवरण निम्न है :–

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
681	0.07	आ.चा.कुंआ	–
योग–1	0.07		

2. यह है कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार हल्का सुलई तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या पुरानी 63 नई 67 में स्थित भूमि का विवरण निम्न है :–

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
285	0.02	मगरी बीड	0.01
286	1.97	पा	1.73
792/4	0.30	म.बीड	0.17
योग 03	2.29		1.91

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

3. यह है कि प्रार्थी के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार हल्का सुलई तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या पुरानी 72 नई 67 में स्थित भूमि का विवरण निम्न है :–

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
[illegible]	0.05	रा.III	0.03
[illegible]	0.16	बा.II	0.46
[illegible]	0.03	बा.II	0.05
[illegible]	0.17	बा.II	0.23
[illegible]	0.02	बा.III	0.12
योग 05	0.43		0.91

यह कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के पिताजी के खाते दर्ज थी। वादी के पिताजी श्री [illegible] पिता बदा डांगी पटेल निवासी मोकरवाडा का सन् 1986 में निधन हो गया है। वादी के पिताजी के निधन के बाद मे उसके खाते मालिकाना हक एवं कब्जे की उपर वर्णित कृषि भूमि का वारिसान हक से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। वारिसान हक से नामान्तरकरण को स्वीकृत करते वक्त वादी का घरेल नाम लाला नामान्तरकरण में अंकित कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। उक्त घरेलू नाम लाला नामान्तरकरण में अंकित होने से तब से आज तक की जमाबंदी में वादी का नाम लाला अंकित चला आ रहा है। वादी के वकील ने वादी के भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र , आधार कार्ड, राशनकार्ड, आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या (पेनकार्ड) एवं अन्य कागजात पेश किये जिसमें प्रार्थी का नाम लालशंकर दर्ज है।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मौजा ग्राम मोकरवाडा पटवार सर्कल सुलई के जमाबंदी संवत् 2071–74 में खाता संख्या नई 67, 69, व पुरानी क्रमशः 61, 63, 67 में प्रार्थी का नाम " **लाला उर्फ लालशंकर** " शुद्विकरण कर आदेश जारी किया जाकर डिक्री पर्चा जारी किया जाता है। तहसीलदार खेरवाडा निर्णय अनुसार पालना करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार हो नम्बर से कम होवे।

(अनिल कुमार RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा